

मा/निग 6/सतना/2017/3911

318

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वाभियर



12/39-

श्रीमती कुसुम मिश्रा पुत्री स्व० श्री वैजनाथ तिवारी पत्नी श्री रामखेलावन मिश्रा निवासी ग्राम कुशियरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना, म० प्र० जरिये मुक्त्यार आम रामखेलावन मिश्रा तनय श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा

ओवे के मात 20/10/17  
श्री रामेश्वर तनय मिश्रा  
कारिका 16-10-17

निवासी ग्राम कुशियरा तह० रघुराजनगर जिला सतना म० प्र० -- आपत्तिकर्ता / निगराकार

बनाम

1- कमला प्रसाद शुक्ला तनय श्री रामाधार शुक्ला निवासी ग्राम कुशियरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना, म० प्र०

2- पुरुषोत्तम सिंह तनय श्री शिवनारायण सिंह पौतः

अ। विक्रम बहादुर सिंह

ब। सन्तोष कुमार सिंह

स। पार्वती सिंह पुत्री स्व० श्री पुरुषोत्तम सिंह

द। श्री० रामकुलारी सिंह बेवा स्व० श्री पुरुषोत्तम सिंह (पौतः)

सभी निवासी ग्राम मेदनीपुर, तह० रघुराजनगर, जिला सतना, म० प्र०

गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० सू० राजस्व संहिता 1959 कि० अ० न्याय तहसीलदार प्रभारी हुत्त हाटी तहसील रघुराजनगर जिला सतना, म० प्र० दिनांक 9-10-2017 जरिये प्रकरण क्रमांक 36स. 6/2015-16

मान्यवर,

*[Handwritten signature]*

प्रार्थी / निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1- यह कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगराकार को एक नै अधीनस्था न्यायालय में एक दावा इस आशय का

क्रमशः पेज 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

93

क्रमांक III/निग0/2017/3911

जिला-सतना

श्रीमती कुसुम मिश्रा/ कमला प्रसाद शुक्ला

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त हाटी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	